संख्या-829/2017/1998/22-2-2017-17(18)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 अक्टूबर, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकिशोर पुत्र श्री रामऔतार, निवासी जनपद-हरदोई की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-25389/पे0अनु0-(2)-182/ सलाहकार समिति/(एम0 22.06.2017) दिनांक-14.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 14.08.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राजकिशोर पुत्र श्री रामऔतार, ग्राम-बहोरवा, थाना-अडियावॉ, जनपद-हरदोई का निवासी है। पुरानी रंजिश एवं मकान बनाने के विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 23.06.1982 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की हत्या दी एवं 01 व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल कियां। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-636/1982 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 324/34 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायालधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 18.08.1983 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.08.1999 द्वारा अपील निस्तारित करते हुए यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 19.04.2017 तक 18 वर्ष 06 माह 24 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 04 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी तथा आयु 52 वर्ष लगभग है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। सलाहकार समिति का अभिमत है कि बन्दी द्वारा सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की हत्या एवं 01 व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी के स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति सन्तोषजनक है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा मा0 पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजकिशोर पुत्र श्री रामऔतार को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजकिशोर (बन्दी संख्या-22333) पुत्र श्री रामऔतार, निवासी जनपद-हरदोई की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-829/2017/1998/(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ.।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।